रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 70] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 27, 1976/फाल्गुन 8, 1897

No. 70] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 27, 1976/PHALGUNA 8, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

**Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation**

## MINISTRY OF COMMUNICATIONS

**(Posts & Telegraphs Board)**

NOTIFICATION

*New Delhi, the 27th February* 1976

**G.S.R. 98(E).**—In exercise of the powers conferred by section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Telegraph Rules, 1951, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Telegraph (Fourth Amendment) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the 1st day of March, 1976.

2. In the Indian Telegraph Rules, 1951 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 40, for clause (xi), the following shall be substituted, namely:—

"(xi) The fee for registration of an abbreviated address (both Roman and Devanagiri) shall be Rs. 100/- payable for the calendar year in advance to the officer in charge of the telegraph office at which the registration is made. When the registration is effected during the course of a year, the fee shall be charged at the rate of Rs. 10/- per calendar month, inclusive of the month of registration, upto 31st December of that year."

3. For the proviso to rule 51 of the said rules, the following proviso shall be substituted, namely:—

"Provided that if the address in inland telegrams, other than the telegrams for delivery in Nepal (rule 60-A), exceeds six words, the number of words exceeding six but not exceeding ten shall not be included in calculating the charge."

4. In rule 60 of the said rules, for the table of charges the following Table shall be substituted, namely:—

"TABLE

| Class | Not exceeding eight chargeable words | Exceeding eight chargeable words | |
|---|---|---|---|
| | | First eight words | Each additional word after the first eight chargeable words |
| | Rs. P | Rs. P. | Rs. P. |
| Express . . . . | 4·00 | 4·00 | 0·50 |
| Ordinary . . . . | 2·00 | 2.00 | 0·25" |

5. In rule 62 of the said rules, for the words "forty paise", the words "one rupee" shall be substituted.

6. Rule 63 of the said rules, shall be omitted.

7. In rule 68 of the said rules, for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(3) The fees for the upkeep of accounts referred to in the two preceding sub-rules shall be at the rate of rupees five for every batch of twenty telegrams or part thereof."

8. In rule 110 of the said rules, for sub-rule (a), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(a) Registration of special delivery instructions regarding the delivery of telegrams shall be made only in the case of holders of abbreviated addresses registered under rule 40 without any additional fee. The registration of Special Delivery Instruction shall be restricted to only one instruction by which delivery may be effected by the same telegraph office at all times."

9. In rule 115 of the said rule, for the letters, figures and words "Re. 1 for every group of 50 chargeable words or part thereof", the letters, figures and words "Rs. 1.50 for any number of chargeable words not exceeding 30 and Re. 1 for every group of 30 additional chargeable words or part thereof", shall be substituted.

10. In rule 124 of the said rules, for the existing table of charges, the following Table shall be substituted, namely:—

"TABLE

| Class | Not exceeding eight chargeable words | Exceeding eight chargeable words | |
|---|---|---|---|
| | | Frist eight chargeable words | Each additional word after the first eight chargeable words |
| | Rs. P. | Rs. P. | Rs. P. |
| Express . . . . | 4·00 | 4·00 | 0·50 |
| Ordinary . . . . | 2·00 | 2·00 | 0·25" |

11. For rule 434 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely:—

"434. *Schedule of fees and Charges.*—The charges for various services under these rules shall be as hereunder specified.

SECTION I.—FEES :

(1) **Installation fees :**

| | Rs. |
|---|---|
| (a) for each telephone connection (excluding casual connection from a Departmental Exchange), internal or external extension, Private Exchange connection, Private Branch Exchange connection, junction lines to Private Branch Exchanges and for each end of a Private Wire or Non-exchange line | 100 |
| (b) for a casual connection from a Departmental Exchange | 50 |
| (c) (i) for a plug and socket arrangement comprising of one plug for terminating the telephone instrument, two sockets and one extension bell | 100 |
| (ii) for each additional socket installed | 50 |
| (d) for each extra bell | 50 |
| (e) for Loudspeaking Telephones | 50 |

NOTE 1.—Installation fees are leviable on all new installations, permanent and temporary, including Own Your Telephone connections.

NOTE 2.—Installation fees for private and private Branch Exchange switch-boards are leviable at the scale shown in Section VIII.

NOTE 3.—Where the subscriber is permitted to arrange internal wiring himself, the installation charges will be 50 per cent of the above charges.

(2) **Reconnection fee:**

| | Rs. |
|---|---|
| (a) (i) Reconnection fee for a telephone connection or telephone installation of any kind or a plug point, disconnected due to default of payment of rent or other dues and restored within a period of fifteen days from the date of its disconnection | 25 |
| (ii) In all other cases | 50 |
| (b) (i) Reconnection fee for an extra bell disconnected due to default of payment of rent or other dues and restored within a period of fifteen days from the date of its disconnection | 15 |
| (ii) In all other cases | 30 |

(3) **Transfer fee :**

| | |
|---|---|
| (a) Transfer fee for the transfer of a telephone connection | 500 |
| (b) Fee for permission for the use of a telephone subscribed by the landlord of a building, by the tenant living in the same building | 500 |

SECTION II.—SHIFTING CHARGES :

(1) Telephone connection, extension, plug point and connection to private and private branch exchanges :

| | |
|---|---|
| (a) for shift from one position to another in the same room | 50 |
| (b) for all other cases of shift from one position to another | 100 |

(2) Bells :

| | |
|---|---|
| (a) For shift from one position to another in the same room | 15 |
| (b) For all other cases of shift from one position to another | 30 |

(3) **Private and Private Branch Exchange.**—For shift from one position to another in the same room, the charges shall be 50 per cent of the rates prescribed for installation in Section VIII. In all other cases of shifts, the charges shall be levied at the rates prescribed for installation in Section VIII.

SECTION III.—SCALE OF CHARGES FOR DEPARTMENTAL EXCHANGE CONNECTIONS :

(1) **Within the local area:**

(a) *Measured rate system*

| Telephone Exchange Systems | Rates of quarterly rental and call fees | | |
|---|---|---|---|
| | Rental | Number of call units allowed free of charge during the quarter | Fees per call unit for calls in excess of those allowed free of charge. |
| | Rs. | | Paise |
| 1. Exchange systems of 10,000 lines capacity and above . . . | 150 | 250 | 30 |
| 2. Exchange systems of less than 10,000 lines capacity . . . . . | 125 | 250 | 30 |

The measured rate system may be introduced at any Exchange from such date as the Telegraph Authority may, by notification in the official Gazette, specify in that behalf. The duration of a call for which one 'call Unit' is charged, will depend upon the distance between the Telephone exchanges to which the calling and the called telephones are connected, as specified by the Telegraph Authority from time to time.

(b) *Flat rate system*

| Types of exchanges | Rates of rental | |
|---|---|---|
| | Annual | Quarterly |
| | Rs. | Rs. |
| (i) Exchanges of 100 lines and above capacity providing 24 hours service . . . . . | 600 | 150 |
| (ii) Exchanges of less than 100 lines capacity providing 24 hours service . . . . . | 500 | 125 |
| (iii) Manual exchanges providing service for restricted number of hours . . . . . | 400 | 100 |

(2) **Beyond the local area (in respect of both Measured rate and Flat rate Systems).**—(a) For Telephone connections not exceeding five kilometres of actual length beyond the local area, the rental shall be levied as for connections within the local area plus Rs. 300 per annum or Rs. 75 per quarter for each additional kilometre or fraction thereof of the actual length of the connection beyond the local area.

(b) For Telephone connections exceeding five kilometres of actual length beyond the local area, the rental shall be levied as for connections within five kilometres of actual length beyond the local area plus Rs. 400 per annum or Rs. 100 per quarter for each additional kilometre or fraction thereof of the actual length exceeding five kilometres beyond the local area.

Provided that the standard rates prescribed in (b) above shall apply only if the connection is provided by utilising existing wires or cable conductors with inexpensive changes. In all other cases, special rates of rental shall be charged.

(c) Revision of local area of an exchange system by telegraph authority.

The telegraph authority may at any time publish a draft of its proposal to revise the local area of an exchange system and after considering any objections or suggestions received from the person likely to be affected thereby revise such an area by notification in the official Gazette.

(d) Charges for shared service connections shall be the same as for an independent connection leviable at the station concerned, but following rebate in rental shall be permissible for all such connections:—

| | |
|---|---|
| At Bombay, Calcutta, Madras and Delhi | Rs. 15/- per quarter. |
| At other stations | Rs. 12/- per quarter. |

SECTION IV.—CHARGES FOR CONNECTION UNDER 'OWN YOUR TELEPHONE SCHEME':

A subscriber to whom a telephone connection is provided under this scheme shall be required to make an initial payment of a specified lump sum and in consideration thereof get a reduction in the rental for a fixed period. The particulars of the initial lump sum payment, etc., are shown in the Table below:

TABLE

| | Capacity of exchange system | | |
|---|---|---|---|
| | 10,000 lines and above | 1,000 lines and above but below 10,000 lines | Below 1,000 lines |
| | Rs. | Rs. | Rs. |
| (a) Initial payment . . . | 5,000 | 4,000 | 3,000 |
| (b) Initial period during which a reduction in rental is admissible . . . | 20 years | 20 years | 20 years |
| (c) Rebate in rental : | | | |
| (i) On rental paid annualy . . . | 240 | 192 | 144 |
| (ii) On rentals paid quarterly . . . | 60 | 48 | 36 |
| (iii) On rentals paid monthly . . . | .. | .. | 12 |

Provided that the above change in the initial payment and in the rebate in rental shall not apply to a subscriber to whom a telephone connection has been provided under the scheme before 15th May, 1974 or any applicant for telephone connection who has alreay made a deposit under the scheme and to whom a telephone connection could not be provided before that date.

SECTION V.—CHARGES FOR EXTENSIONS :

| | Annual rent |
|---|---|
| (1) (a) Internal extension without inter-communication facility . | Rs. 200 |
| (b) Internal extension with inter-communication facility . . | Rs. 250 |

(c) External extensions :

| | |
|---|---|
| (i) Not exceeding one kilometre radial distance from the main connection . . . . . | Rs. 500 |
| (ii) Exceeding one kilometre radial distance from the main connection . . . . . | Rental as for first kilometre plus Rs. 300 per annum for each additional kilometre of fraction thereof. |

(2) For extensions exceeding five kilometres radial distance, the above rates shall apply only if existing wires or cable conductors are utilised with inexpensive charges. In all other cases, special rates shall be charged.

SECTION VI.—CHARGES FOR ADDITIONAL FACILITIES :

(1) Particulars of the facility

| | *Annual rental* |
|---|---|
| | Rs. |
| (a) Extra Bell . . . . . | 20 |
| (b) Extension bell with switch . . . . . | 20 |
| (c) (i) A plug and two sockets . . . . . | 40 |
| (ii) Every additional socket . . . . . | 15 |
| (d) (i) Long cord upto 5 metres in length . . . . | 30 |
| (ii) For every additional 5 metres in length . . . | 15 |
| (e) A complete telephone set . . . . . | 60 |
| (f) Coin collecting Box . . . . . | 60 |
| (g) Loud speaking telephone . . . . . | 800 |

(2) The additional charge to be levied for a coloured telephone instrument shall be Rs. 60 per instrument and that for replacement of a coloured instrument by one of another colour shall be Rs. 30. These charges shall not be refundable in any case. The additional charge, to be levied for Ampliphone (hard of hearing telephone instrument) shall be Rs. 32 per annum or Rs. 8 per quarter or Rs. 3 per month.

SECTION VII.—CASUAL AND TEMPORARY INSTALLATIONS:

(1) **Casual connections from a Departmental exchange.**—(a) Casual connections may be sanctioned by the Divisional Engineer in-charge of an Engineering Division or Head of a Telephone District, taking into consideration the essentiality of the demand, expenditure involved and the feasibility of providing the connection at the required time. The charges for a casual telephone connection either from a Measured rate or a Flat rate system shall be as follows:—

| Duration of connection | Rental |
|---|---|
| | Rs. |
| 1 to 10 days . . . . . | 60 |
| 11 to 30 days . . . . . | 120 |
| 31 to 60 days . . . . . | 180 |

In Measured rate system, all calls shall be charged at the rate prescribed for such calls in sub-item (a) of item 1 of Section III and no calls shall be allowed free of charge.

(b) The maximum period for which a casual telephone connection can be given shall be sixty days, provided that the Telegraph Authority may in its discretion, extend this period in special cases.

(2) **Temporary connection from a Departmental exchange.**—The rental for a departmental exchange connection given on a temporary basis shall be levied at one and a half times the rates of rent 1 prescribed in Section III. In Measured rate system, the number of local calls allowed free of charge during the quarter and the fees per local call for calls in excess of those allowed free of charge shall, however, be at the same scale as prescribed in Section III.

(3) **Temporary extensions and temporary private wires.**—Temporary extensions from departmental exchange connections, connections from Private exchanges, connections from private branch exchanges, and extensions from these connections, may be given upto a maximum period of four months provided the cost involved in giving the facility does not exceed Rs. 200 in each case. The charges for these facilities shall be leview at half the appropriate annual rental prescribed for the corresponding facility provided on regular basis in Sections V, VIII or IX.

SECTION VIII.—CHARGES FOR PRIVATE EXCHANGES AND PRIVATE BRANCH EXCHANGES :

**1. Rent and installation charges for exchange equipment:**

| Size of exchange | Installation charge | Annual rental |
|---|---|---|
| | Rs. | Rs. |
| PRIVATE MANUAL EXCHANGES AND PRIVATE MANUAL BRANCH EXCHANGES : | | |
| 1 Plus 3* | 100 | 300 |
| 2 plus 6* | 200 | 600 |
| 3 plus 9* | 300 | 900 |
| 5 plus 20@ | 500 | 2400 |
| 10 plus 50@ | 1000 | 6000 |
| 20 plus 100@ | 1500 | 12000 |
| PRIVATE AUTOMATIC EXCHANGES AND PRIVATE AUTOMATIC BRANCH EXCHANGES : | | |
| **5 lines PABX | 400 | 900** |
| **9 lines PABX | 750 | 1800** |
| 25 lines | 1500 | 6000 |
| 50 lines | 2500 | 12000 |
| 100 lines | 4000 | 20000 |

NOTE: For private manual exchanges, private manual and automatic branch exchanges of over 100 lines capacity, all private automatic exchanges and extendable type of private automatic branch exchanges, rental for switch boards shall be levied at special rates calculated on the basis of capital cost incurred in installing the switch board.

(2) **Rental for telephone connections from Private exchanges (manual and automatic) and private branch exchanges (manual and automatic):**

| | *Annual rental* |
|---|---|
| (a) Internal connections | Rs. 200 |

*Cordless @Floor-pattern

**Rental is for the whole unit inclusive of rent for all the internal connections.

| | *Annual rental* |
|---|---|
| (b) External connections: | |
| (i) Not exceeding one kilometre radial distance from the Private and Private Branch exchanges. | Rs. 500 |
| (ii) Exceeding one kilometre radial distance from the private or private branch exchanges. | Rental as for the first kilometre plus Rs. 300 per annum for each additional kilometre or fraction thereof. |

(c) For external connections exceeding five kilometres radial distance the above rates shall apply only if existing wires or cable conductors are utilised with inexpensive charges. In all other cases, special rates of rental shall be charged.

(3) Charges for private wires, interswitch board junctions and tie lines shall be levied at the same rates prescribed in item 2 above.

(4)The junction lines to private branch exchanges shall be charged at the rates prescribed for departmental exchange connections in Section III.

SECTION IX.—CHARGES FOR PRIVATE WIRES:

| | *Annual rental* |
|---|---|
| (1) (a) Internal private wires | Rs. 200 |
| (b) External private wires (with or without relay set): | |
| (i) Not exceeding one kilometre chargeable distance. | Rs. 500 |
| (ii) Exceeding one kilometre chargeable distance. | Charges as for the first kilometre plus Rs. 300 per annum for each additional kilometre or fraction thereof. |

(2) For private wires exceeding five kilometres chargeable distance, the above rates shall apply only if they are provided by utilising existing wires or cable conductors with inexpensive changes. In all other cases, special rates shall be charged.

(3) (i) The chargeable distance of private wires in cases where the subscribers are connected through the same exchange shall be the sum of the radial distances of the subscribers to the exchange concerned.

(ii) Where the subscribers are connected through more than one exchange, the chargeable distance shall be the sum of the radial distances of the subscribers to their respective exchanges plus the radial distance between the two terminal exchanges.

SECTION X.—CHARGES FOR NON-EXCHANGES LINES:

| | *Annual rental* |
|---|---|
| (1) (i) Not exceeding one kilometre radial distance. | Rs. 500 |
| (ii) Exceeding one kilometre radial distance. | Charges as for the first kilometre plus Rs. 300 per annuam for each additional kilometre or fraction thereof. |

(2) For non-exchange lines exceeding five kilometres radial distance, the above rates shall apply if they are provided by utilising existing wires or cable conductors with inexpensive changes. In a 11 other cases, special rates shall be charged.

(3) The chargeable distance of non-exchange lines shall be the radial distance between the two points to be connected.

SECTION XI.—LOCAL PRIVATE WIRES RENTED TO ALL INDIA RADIO FOR BROADCASTING PURPOSES:

Local Private Wires rented to All India Radio for broadcasting purposes shall be charged at the following rates:—

| | |
|---|---|
| (i) Private wires rented for continuous use. | Normal departmental rates as per Section IX. |
| (ii) Floating lines (which can be shifted to varying points within a town when pairs can be made available without undue loss to the Department.) | The rentals for these lines shall be Rs. 400 per annum per pair within a radial distance of 6 kilometres from the Departmental Exchange. For the portion of the line exceeding 6 kilometres, the rent chargeable shall be Rs. 75 per annum for each additional kilometre or part thereof. The charges for shifting of floating lines shall be the same as for a shift of private wires. |

SECTION XII.—EXTENSIONS FROM LONG DISTANCE PUBLIC CALL OFFICES:

The rental for the extension from a long distance Public Call Office shall be Rs. 200 per annum upto 1 kilometre and Rs. 150 per annum for each additional kilometre or part thereof upto 5 kilometres (actual length). If the actual length of the extension exceeds 5 kilometres, rent shall be charged at the above rates only if the existing wires or cable conductors are utilised with inexpensive changes; otherwise, rent shall be calculated either at the above flat rates or at special rates whichever is higher.

SECTION XIII.—CONNECTIONS FROM TEMPORARY EXCHANGE OR PRIVATE BRANCH EXCHANGE INSTALLED ON IMPORTANT OCCASIONS:

(1) Rental for telephone connection provided from a temporary exchange or temporary PBX, shall be levied at a flat rate of Rs. 150 per month or part thereof (inclusive of call charges, if leviable) for the first kilometre from the exchange or PBX. For every additional kilometre or part thereof, an additional rental at the rate of Rs. 50 per month or part thereof shall be charged.

(2) The temporary exchange or the temporary PBX shall be treated as Departmental exchange for the purpose of trunk call charges according as the exchange or PBX falls within or outside the local area of an exchange system respectively.

(3) In case the operation of a temporary manual exchange opened at the request of the organisers of the functions, conferences, exhibitions and the like, is entrusted to the organisers, a rebate of Rs. 10 per connection per month or part thereof shall be allowed to the rentors.

SECTION XIV.—FIRE ALARM SERVICE:

The rental for the switch board shall be 75% of the rental for a PBX of equivalent capacity and the rental for the Fire Alarm extensions shall be 75% of the rental of PBX extensions of equal length.

SECTION XV.—RIFLE RANGE CONNECTIONS:

Rentals for the Rifle Range connections shall be levied at the same rates prescribed for Private Wires or Non-exchange lines, as the case may be.".

12. For rule 451 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely:—

"451. *Charges for trunk calls.*—Except as provided in rule 451-A, the charges for trunk calls shall be as hereinafter specified:—

(a) The charges for trunk calls between two stations situated in the same long distance charging area or in two contiguous charging areas shall be determined by the radial distance between the respective trunk exchanges and for the trunk calls between two stations situated in non-contiguous long distance charging areas, by the radial distance between the respective long distance charging centres.

The charges for unit calls of ordinary category shall be calculated as follows:

TABLE

| Radial distance between any two exchanges or between any two long distance charging centres. | Charges Rs. | Ps. |
|---|---|---|
| Upto 20 kilometres | 0 | 50 |
| Exceeding 20 Kms. but not exceeding 50 Kms. | 2 | 00 |
| Exceeding 50 Kms. but not exceeding 100 Kms. | 4 | 00 |
| Exceeding 100 Kms. but not exceeding 200 kms. | 6 | 00 |
| Exceeding 200 Kms. but not exceeding 500 kms. | 10 | 00 |
| Exceeding 500 Kms. but not exceeding 1000 Kms. | 16 | 00 |
| Exceeding 1000 Kms. | 20 | 00 |

(b) Charges for Higher priority trunk calls shall be calculated as follows:

| Priority | Charges |
|---|---|
| (i) SVH Calls | Same rate as for ordinary calls provided that where the SVH call is used for purpose other than that contemplated by such a call it should be charged at the highest rate applicable in the service. |
| (ii) Urgent calls, Fixed Time Calls and Subscription Fixed Time Call. | Double the rate for ordinary call. |
| (iii) Lightning calls | Eight times the rate for ordinary calls. |
| (iv) Most Immediate, Operations Immediate, Immediate and Important Calls booked by authorised official of Government Department. | Four times the rate for ordinary calls. |

(c) Reduced charges during certain hours of the day including Sundays and National Holidays and on certain classes of calls shall be as follows:—

| | Classes of Calls | |
|---|---|---|
| | Ordinary and SVH | Urgent |
| On Sundays and three National Holidays 00·00 hrs. to 24 hrs. | 50% | 75% |
| On other days (00·00 hrs. to 8·00 hrs.) | 50% | 75% |
| 8·00 hrs. to 19·00 hrs. | 100% | 100% |
| 19·00 hrs. to 24·00 hrs. | 50% | 75% |

The concession regarding reduced charges shall however not apply to trunk calls between any two exchanges or between any two long distance charging centres, which are situated within a radial distance of 50 Kms.

The 100% tariff is the normal full-rate tariff for a trunk call unit of duration according to class of the call.

(d) Additional charges to be levied for special service :

| *Facility* | *Rate* |
|---|---|
| (i) Particular person call effective or ineffective<br>(ii) Fixed time call<br>(iii) Subscription fixed time call | The additional charges for a particular person facility shall be 50 per cent of the trunk charge for unit call of ordinary category, subject to a minimum charge of 50 P. |
| (iv) Late fee per call effective on ineffective. | (a) on trunk calls Re. 1-00<br>(b) on local calls Re. 0-50 |

(e) Charges for Public Call Office (P.C.O.) Calls.

Public Call Offices may be used for making a local call (where local call facilities are available) or for making a trunk call or both. The charges for the use of a public call office shall be levied as follows:

| Category of PCO | Charges for call between PCO and parent Exchange | Charges for calls from PCO to Exchanges other than parent Exchange. | Charges for calls to PCO from Exchanges other than parent Exchange |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| LOCAL PCOs. | 50P irrespective of duration of the call. | Trunk call charges as from parent Exchange plus 50P PCO charge, the PCO charge being irrespective of the duration of the call. | Trunk call charges to parent exchange of PCO plus 50P PCO charge the PCO charge being irrespective of the duration of the call. |
| INTERPOLATED PCOs. | Trunk call charges as for an exchange located at the same station as the PCO plus 50P PCO charge per unit (3 minutes) duration of call or part thereof. | As in column 2 | As in column 2. |
| LONG DISTANCE PCOs. | | | |
| (a) Under 20 Kms. radial distance from Parent Exchange. | Re. 1/- PCO charge per unit (3 minutes) duration of call or part thereof. | Trunk Call charges as from Parent Exchange plus appropriate PCO charge as in column 2. | Trunk call charges to Parent Exchange of PCO plus appropriate PCO charge as in column 2. |
| (b) Exceeding 20 Kms. but not exceeding 50 Kms. radial distance from Parent Exchange. | Rs. 2/- PCO charge per unit (3 minutes) duration of call or part thereof. | | |
| (c) Exceeding 50 Kms. radial distance from Parent Exchange. | Rs. 4/- PCO charge per unit (3 minutes) duration of call or part thereof. | | |

Provided that for calls between two PCOs connected to different Exchanges, the PCO charges for both the PCOs will be levied in addition to the Trunk Call charge between the Exchanges:

Provided further that for a call between two PCOs connected separately to the same Exchange or same PCO the charge for the call shall be the sum of charges for a call from each of the two PCOs to the common exchange or common PCO;

Provided further that in the case of a call between two long distance PCOs connected in tandem, charge of the call shall be levied on the basis of radial distance between the two PCOs as indicated in columns (1) and (2) against the long distance PCOs.

NOTE 1.—The PCO charges in the case of trunk call will NOT be subject to reduction in concessional rate period nor will it be affected by the priority classification (Ordinary, Urgent, Important etc.) of the trunk call.

NOTE 2.—The particular person charge, Fixed Time Charge and Subscription Fixed Time Charge will be levied only on the trunk call charge and NOT on the PCO charges. In the case of Press Trunk Calls, the rebate of 12½% will be admissible only on the Trunk Call Charge and NOT on the PCO charge.

NOTE 3.—In the case of calls between Long-Distance PCO and its Parent Exchange all calls shall be treated as ordinary calls and put through in the order of their booking time. Special facilities such as priorities, concessional tariffs, Fixed Time, Subscription Fixed Time and Press Call rebate will NOT be available on such calls. Particular Person facility will be available without the usual particular person charge.".

13. In rule 498 of the said rules, for the sub-rule (10), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(10) The charges for teleprinter machines and other equipments shall be as follows :—

| | | | |
|---|---|---|---|
| (a) | (i) | Teleprinter machine . . . . | Rs. 2400 per annum |
| | (ii) | Key-board perforator . . . . | Rs. 1200 per annum |
| | (iii) | Non-printing Re-perforator (without key board) . . . . . | Rs. 1200 per annum |
| | (iv) | Printing Reperforator (without key board) . | Rs. 1500 per annum |
| | (v) | Printing Reperforator (with key board) . | Rs. 1860 per annum |
| | (vi) | Tape transmitter . . . . | Rs. 600 per annum |
| | (vii) | Perforator attachment . . . . | Rs. 300 per annum |
| | (viii) | Transmitter attachment . . . | Rs. 396 per annum |
| | (ix) | Auto transmission set . . . . | Rs. 2400 per annum |
| | (x) | Power pack . . . . . | Rs. 360 per annum |
| | (xi) | Switching unit . . . . | Rs. 100 per annum |
| | (xii) | Commutator board . . . . | Rs. 6 per annum for each termination on the board |
| (b) | (i) | Installation charges . . . . | Rs. 100 for each end |
| | (ii) | Shifting charges . . . . | Rs. 100 for each end |
| | (iii) | Reconnection charges : | |
| | | (A) if restored within a period of seven days from the date of disconnection | Rs. 30 for each end |
| | | (B) in all other cases . . . . | Rs. 60 for each end |

(c) The installation charges and shifting charges for Teleprinter attachments shall be as follows :

| | | |
|---|---|---|
| (i) | Installation charges . . . . | Rs. 100 for each end |
| (ii) | Shifting charges . . . . | Rs. 100 for each end". |

14. In rule 496 of the said rules, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(2) Subject to the provisions of sub-rule (1), the following charges shall also be payable by the party wherever applicable :—

| | |
|---|---|
| (a) Installation charges . . . . | Rs. 100 for each end |
| (b) Shifting charge . . . . . | Rs. 100 for each end |
| (c) Reconnection fee— | |
| (i) if restored within a period of 15 days from the date of disconnection . . . . | Rs. 25/- |
| (ii) in all other cases . . . . | Rs. 50/- |
| (d) Hand Micro Telephone instruments provided at either end . . . . . | Rs. 60/- per instrument". |

15. In rule 507 of the said rules, for the words "Twice the quarterly rental as for a regular connection for each quarter or part", the words "One and a half times the quarterly rental as for a regular connection for each quarter or part" shall be substituted.

16. For the rule 519 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely:—

"519. All charges are payable on presentation of a bill therefor. The periods for which bills shall be prepared and the dates by which they shall be payable shall be fixed by the telegraph authority.

The charges for Telex service shall be as follows:—

A—RENTAL :

| | | |
|---|---|---|
| (i) for a telex subscriber's line, inclusive of rent for the terminal teleprinter machine, within a radius of five kilometres (local area) from the teleprinter exchange (Telex) . . . . . | Rs. 3000 | per annum |
| (ii) for a telex subscriber's line when teleprinter machine is provided by a subscriber himself within a radius of five kilometres (local area) . . . | Rs. 600 | per annum |
| (iii) for each additional kilometre or part of a kilometre of the actual length of the connection beyond a radius of five kilometres (local area) of the teleprinter exchange . . . . . | Rs. 300 | per annum |
| (iv) for each perforator attachment . . . | Rs. 300 | per annum |
| (v) for each Transmitter attachment . . . | Rs. 396 | per annum |
| (vi) for each Power Pack . . . . | Rs. 360 per annum | |
| (vii) for each switching unit . . . | Rs. 100 per annum | |

Provided that in cases where the actual length of the connection beyond the local area exceeds five kilometres, the charges specified in item (iii) shall apply only if the connection is provided by utilising existing wires or cable conductors with inexpensive charges and in all other cases connection may be provided at such rates as the telegraph authority may fix taking into account the cost of construction and other relevant factors and for such period as that authority may determine.

NOTE.—The initial minimum period of hire shall be one year.

B.—CALL CHARGES:

(i) *Local calls.*—Re. 1/- for every period of three minutes duration or part thereof.

(ii) *Long distance call charges.*—The long distance call charges for a unit period of duration shall be as follows:—

TABLE

| Radial distance between any two teleprinter exchanges | Charge of one rupee for a unit period of |
|---|---|
| (1) Upto 200 kilometres . . . . . | 60 seconds or part thereof |
| (2) Exceeding 200 kilometres but not exceeding 600 kilometres | 30 seconds or part thereof |
| (3) Exceeding 600 kilometres but not exceeding 1000 kilometres . . . . . | 20 seconds or part thereof |
| (4) Exceeding 1000 kilometres | 12 seconds or part thereof |

Provided that the aforesaid call charges shall be reduced by fifty per cent for long distance calls only during the period between 1900 hours and 0800 hours (Indian Standard Time.)

C—OTHER CHARGES :

| | |
|---|---|
| (i) Installation charges . . . . . | Rs. 150/- |
| (ii) Shifting charges . . . . . | Rs. 150/- |
| (iii) Transfer charge . . . . . | Rs. 60/- |
| (iv) Telex Attachments : | |
| (a) Installation charges . . . . | Rs. 100/- |
| (b) Shifting charges . . . . | Rs. 100/- |
| (v) Reconnection charge : | |
| (a) if restored within a period of 15 days from the date of its disconnection . . | Rs. 100/- |
| (b) if restored after 15 days but within a period of six months from the date of its disconnection . . . . . | Rs. 150/- |
| (vi) Public Call Office Charge . . . | Rs. 5 per call effective or ineffective inland or international. |
| (vii) Charges for change of Answer Back Code/ Number . . . . . | Rs. 20/- |

NOTE :—Where the Telex subscriber is permitted to arrange internal wiring himself, the installation charges specified in item (i) above shall be 50 per cent of the said charges.

D—REFUNDS :

No refund shall be admissible if the service is given up during the minimum period of hire. If the facility is given up after the expiry of the minimum period of hire, refund shall be admissible after charging rent up to the date of actual closure of the connection.".

17. In clause (b) of sub-rule (1) of rule 520 of the said rules, for the words "forty paise, the words "rupee one" shall be substituted.

18. In rule 521 of the said rules, for the word "two" wherever it appears, the word "five" shall be substituted.

[No. 2-2/76-R/3-6/76-R]

D. N. RAMCHANDANI,

Member (Administration) P&T Board, and Ex-officio Addl. Secy.

## संचार मंत्रालय

## (डाक-तार बोर्ड)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 1976

**सा० का० नि० 98 (अ).**—भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय तार नियम, 1951 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय तार (चौथा संशोधन) नियम, 1976 होगा

(2) वे 1 मार्च, 1976 को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय तार नियम, 1951 में (जिन्हें अब से उक्त नियम कहा जाएगा), नियम 40 में, खण्ड (xi) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात :—

"(xi) संक्षिप्त पते (रोमन और देवनागरी दोनों) का पंजीकरण शुल्क 100/– रु० होगा। यह शुल्क कैलेण्डर वर्ष के लिए अग्रिम रूप में उस तारघर के प्रभारी अधिकारी को देय होगा जिसमें पंजीकरण कराया जाता है। जब वर्ष के दौरान पंजीकरण कराया जाता है तो पंजीकरण शुल्क उस वर्ष के 31 दिसम्बर तक प्रति कैलेण्डर महीने के लिए 10/– रु० की दर से वसूल किया जाएगा; इसमें पंजीकरण का महीना भी शामिल होगा।"

3. उक्त नियमों के नियम 51 के परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात :—

"बशर्ते कि नैपाल (नियम 60–क) में वितरण होने वाले तारों के अलावा यदि अन्तर्देशीय तारों के पते में छः शब्द से अधिक शब्द हों, शब्दों की संख्या छः से अधिक हो लेकिन दस से अधिक न हो तो प्रभार की गणना में उन्हें शामिल नहीं किया जायेगा।"

4. उक्त नियमों के नियम 60 में प्रभारों की सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात :—

"सारणी

| श्रेणी | आठ प्रभार्य शब्दों से अधिक न हों | आठ प्रभार्य शब्दों से अधिक | |
|---|---|---|---|
| | | प्रथम आठ शब्दों के लिए | प्रथम आठ प्रभार्य शब्दों के बाद प्रत्येक अतिरिक्त शब्द के लिए |
| | रु० पै० | रु० पै० | रु० पै० |
| तुरन्त | 4.00 | 4.00 | 0.50 |
| साधारण | 2.00 | 2.00 | 0.25" |

5. उक्त नियमों के नियम 62 में "पचास पैसे" शब्दों के स्थान पर "एक रुपया" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं।

6. उक्त नियमों के नियम 63 को निकाल दिया जाए।

7. उक्त नियमों के नियम 68 में उप-नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात :—

"(3) पिछले दो उप-नियमों में उल्लिखित लेखा-अनुरक्षण का शुल्क बीस तारों के प्रत्येक बैच या उसके किसी भाग के लिए पांच रुपये की दर से लिया जाएगा।"

8. उक्त नियमों के नियम 110 में उप-नियम (क) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात :—

"(क) तारों के वितरण से सम्बन्धित विशेष वितरण हिदायतों का पंजीकरण केवल किसी अतिरिक्त शुल्क के बिना नियम 40 के अन्तर्गत पंजीकृत किए गए संक्षिप्त पतों के धारकों के मामले में ही किया जाएगा। विशेष वितरण हिदायत का पंजीकरण केवल एक ही हिदायत तक सीमित होगा तब तक हमेशा एक ही तारघर से उसके अनुसार वितरण किया जाएगा।"

9. उक्त नियमों के नियम 115 में 50 प्रभार्य शब्दों के प्रत्येक ग्रुप या उसके किसी भाग के लिए "1 रुपया" अक्षरों, आंकड़ों और शब्दों के स्थान पर प्रभार्य शब्दों की किसी संख्या के लिए जो 30 शब्दों से अधिक की न हों "1—50 रुपया" तथा 30 अतिरिक्त प्रभार्य शब्दों के प्रत्येक ग्रुप तथा उसके किसी भाग के लिए "1 रुपया" अक्षर, आंकड़े और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं।

10. उक्त नियमों के नियम 124 में प्रभारों की मौजूदा सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात :—

**"सारणी**

| श्रेणी | आठ प्रभार्य शब्दों से अधिक न हो | आठ प्रभार्य शब्दों से अधिक | |
|---|---|---|---|
| | | प्रथम आठ प्रभार्य शब्दों के लिए | प्रथम आठ प्रभार्य शब्दों के बाद प्रत्येक अतिरिक्त शब्द के लिए |
| | रु० पै० | रु० पै० | रु० पै० |
| तुरन्त | 4.00 | 4.00 | 0.50 |
| साधारण | 2.00 | 2.00 | 0.25" |

11. उक्त नियमों के नियम 434 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"434. **शुल्कों और प्रभारों की अनुसूची.**—इन नियमों के अन्तर्गत विभिन्न सेवाओं के लिए प्रभार निम्न प्रकार होंगे :—

**खण्ड I—शुल्क :**

(1) **संस्थापन शुल्क :**

| | |
|---|---|
| (क) प्रत्येक टेलीफोन कनेक्शन के लिए (विभागीय एक्सचेंज से आकस्मिक कनेक्शन के अलावा), आन्तरिक अथवा वाह्य विस्तार, निजी एक्सचेंज कनेक्शन, निजी शाखा एक्सचेंज के लिए, निजी शाखा एक्सचेंजों की जंक्शन लाइनों और निजी तार या गैर-एक्सचेंज लाइन के प्रत्येक छोर के लिए | 100 रुपये |
| (ख) विभागीय एक्सचेंज से आकस्मिक कनेक्शन के लिए | 50 रुपये |
| (ग) (i) प्लग और साकेट व्यवस्था के लिए जिसमें टेलीफोन उपकरण के छोर के लिए एक प्लग, दो साकेट और एक विस्तार घण्टी हो | 100 रुपये |
| (ii) संस्थापित की गई प्रत्येक अतिरिक्त साकेट के लिए | 50 पये |
| (घ) प्रत्येक अतिरिक्त घण्टी के लिए | 50 रुपये |
| (ङ) लाउडस्पीकिंग टेलीफोनों के लिए | 50 रुपये |

टिप्पणी : 1—अपना टेलीफोन कनेक्शनों सहित स्थायी और अस्थायी सभी नये संस्थापनों पर संस्थापन शुल्क वसूल किया जाएगा ।

टिप्पणी : 2—निजी तथा निजी शाखा एक्सचेंज स्विच बोर्डों के लिए संस्थापन शुल्क खण्ड viii में दिए गए अनुपात से वसूल किया जाएगा ।

टिप्पणी : 3—जहां उपभोक्ता को स्वयं आन्तरिक तार व्यवस्था करने की अनुमति है वहां संस्थापन प्रभार उपर्युक्त प्रभारों का 50 प्रतिशत होगा ।

(2) **पुनः कनेक्शन शुल्क :**

| | |
|---|---|
| (क) (i) टेलीफोन कनेक्शन या किसी प्रकार की टेलीफोन संस्थापना या प्लग प्याइण्ड को पुनः लगाने के लिए पुनः कनेक्शन शुल्क, जिसे किराये अथवा अन्य देयों का भुगतान न करने के कारण काट दिया गया हो और उसे कनेक्शन कटने की तारीख से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर पुनःस्थापित कर दिया गया हो | 25 रुपये |
| (ii) अन्य सभी मामलों में | 50 रुपये |

(ख) (i) अतिरिक्त घण्टी के लिए पुनः कनेक्शन शुल्क जिसे किराये अथवा अन्य देयों का भुगतान न करने के कारण काट दिया गया हो और कनेक्शन कटने की तारीख से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर पुनःस्थापित कर दिया गया हो — 15 रुपये

(ii) अन्य सभी मामलों में — 30 रुपये

(3) **अन्तरण शुल्क :**

(क) टेलीफोन कनेक्शन के अन्तरण के लिए अन्तरण शुल्क — 500 रुपये

(ख) किसी मकान मालिक द्वारा लिए गए टेलीफोन का उसी मकान में रहने वाले किरायेदार द्वारा प्रयोग की अनुमति शुल्क — 500 रुपये

**खण्ड II—स्थान बदलने का प्रभार :**

(1) टेलीफोन कनेक्शन, विस्तार, प्लग प्वाइण्ट और निजी एवं निजी शाखा एक्सचेंजों के लिए कनेक्शन

(क) उसी कमरे में एक स्थिति से दूसरी में बदलने के लिए — 50 रुपये

(ख) एक स्थिति से दूसरी में बदलने के अन्य सभी मामलों के लिए — 100 रुपये

(2) **घण्टियां**

(क) उसी कमरे में एक स्थिति से दूसरी में बदलने के लिए — 15 रुपये

(ख) एक स्थिति से दूसरी में बदलने के अन्य सभी मामलों के लिए — 30 रुपये

(3) निजी तथा निजी शाखा एक्सचेंज :—

उसी कमरे में एक स्थिति से दूसरी में बदलने का प्रभार खण्ड viii में संस्थापन के लिए निर्धारित दरों का 50 प्रतिशत होगा। बदली के अन्य सभी मामलों में यह प्रभार खण्ड viii में संस्थापन के लिए निर्धारित दरों पर वसूल किया जाएगा।

**खण्ड III.—विभागीय एक्सचेंज कनेक्शनों के लिए शुल्क दरें :**

1. **स्थानीय क्षेत्र के अन्तर्गत :**

(क) **मापित दर प्रणाली**

| टेलीफोन एक्सचेंज प्रणालियां | तिमाही किराये की दरें और काल शुल्क | | |
|---|---|---|---|
| | किराया | तिमाही के दौरान निःशुल्क स्वीकृत काल यूनिटों की संख्या | निःशुल्क स्वीकृत काल यूनिटों से अधिक कालों के लिए प्रति काल यूनिट शुल्क |
| | रु० | | पै० |
| 1. 10,000 और अधिक लाइनों की क्षमता वाली एक्सचेंज, प्रणालियां | 150 | 250 | 30 |
| 2. 10,000 लाइनों से कम क्षमता वाली एक्सचेंज प्रणालियां | 125 | 250 | 30 |

किसी भी एक्सचेंज में मापित दर प्रणाली उसी तारीख से प्रचलित की जा सकती है जिस तारीख का कि तार प्राधिकारी सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के जरिये इस विषय में उल्लेख करे। तार प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर नियत की गई किसी काल की अवधि, जिसके लिए एक "काल यूनिट" का प्रभार लिया जाता है, उन टेलीफोन एक्सचेंज के बीच की दूरी पर निर्भर करेगी जिनसे दोनों टेलीफोन अर्थात् जिससे काल की जाए और जिसको काल की जाए, जुटे हों।

(ख) **समान दर प्रणाली**

| एक्सचेंजों की किस्म | किराये की दरें | |
|---|---|---|
| | वार्षिक | तिमाही |
| (i) 24 घण्टे सेवा प्रदान करने वाले 100 लाइनों और इससे अधिक लाइनों की क्षमता के एक्सचेंज | 600 | 150 |
| (ii) 24 घण्टे सेवा प्रदान करने वाले 100 लाइनों से कम क्षमता के एक्सचेंज | 500 | 125 |
| (iii) सीमित घण्टों के लिए सेवा प्रदान करने वाले करचल एक्सचेंज | 400 | 100 |

2. **स्थानीय क्षेत्र से आगे (प्रमापित और समान दर दोनों प्रणालियों के बारे में) :**

(क) उन टेलीफोन कनेक्शनों के लिए जो कि स्थानीय क्षेत्र के घेरे से 5 किलोमीटर की वास्तविक लम्बाई से ज्यादा दूर न हों, किराया उस प्रकार लगाया जाएगा जैसा कि स्थानीय क्षेत्र के भीतर कनेक्शनों के लिए होता है जमा स्थानीय क्षेत्र के आगे कनेक्शन को एक अतिरिक्त किलोमीटर या आंशिक वास्तविक लम्बाई के लिए रुपये 300/– प्रतिवर्ष या रु० 75/–प्रति तिमाही।

(ख) उन टेलीफोन कनेक्शनों के लिए जो कि स्थानीय क्षेत्र के घेरे से 5 किलोमीटर से अधिक दूर हों उनका किराया उस प्रकार लगाया जाएगा जैसा कि स्थानीय क्षेत्र से आगे 5 किलोमीटर के भीतर वास्तविक लम्बाई के कनेक्शनों के लिए लगाया जाता है और स्थानीय क्षेत्र से 5 किलोमीटर के ऊपर वास्तविक लम्बाई के प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर या उसके अंश के लिए रु० 400/– प्रति वर्ष या रु० 100/–प्रति तिमाही भी वसूल किया जाएगा।

बशर्ते कि ऊपर ख में निर्धारित मानक दरें तभी व्यवहार में आयेंगी जबकि कनेक्शन की व्यवस्था बिना किसी खर्चे के मौजूदा तारों या केबुल संचालकों का उपयोग करके की गई हो। बाकी अन्य मामलों में किराया विशेष दरों से वसूल किया जाएगा।

(ग) **किसी एक्सचेंज प्रणाली के स्थानीय क्षेत्र का तार प्राधिकारी द्वारा संशोधन.**—तार प्राधिकारी किसी एक्सचेंज प्रणाली के स्थानीय क्षेत्र में बदली करने के प्रस्ताव के मसौदे को किसी भी समय प्रकाशित कर सकता है और प्रभावी व्यक्तियों से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर विचार करने के बाद सरकारी राजपत्र में अधिसूचना देकर क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है।

(घ) साझीदार सेवा कनेक्शनों का शुल्क वही होगा जैसा कि सम्बन्धित स्थान पर किसी अकेले कनेक्शन के लिए लिया जाता है किन्तु ऐसे तमाम कनेक्शनों के किराये में नीचे वाली दर से रियायत स्वीकार्य होगी :—

| | |
|---|---|
| बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली में | रु० 15/–प्रति तिमाही |
| अन्य स्थानों पर | रु० 12/–प्रति तिमाही |

खण्ड IV.—"अपना टेलीफोन योजना" के अन्तर्गत कनेक्शन का शुल्क इस योजना के अन्तर्गत जिस उपभोक्ता को टेलीफोन कनेक्शन की व्यवस्था की जाती है उससे अपेक्षित होगा कि वह निश्चित एकमुश्त रकम की प्रारम्भिक अदायगी करे और इसके एवज में किसी निश्चित अवधि

के किराये में उसे छूट दी जाये। ऐसी एक मुश्त रकम की प्रारम्भिक अदायगी आदि के ब्यौरे नीचे सारणी में दिये जाते हैं :—

सारणी

| | | एक्सचेंज प्रणाली की क्षमता | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 10,000 और उसके ऊपर लाइनें | 1000 और उसके ऊपर लाइनें किन्तु 10,000 से कम | 1000 से कम |
| (क) | पहली अदायगी | रु० 5000/– | रु० 4000/– | रु० 3000/– |
| (ख) | पहली अवधि जिसके दौरान किराये में घटौती स्वीकार्य होगी | 20 वर्ष | 20 वर्ष | 20 वर्ष |
| (ग) | किराये मे छूट | | | |
| | (1) वार्षिक अदायगी वाले किराये में | रु० 240/– | रु० 192/– | रु० 144/– |
| | (2) तिमाही अदायगी वाले किराये में | रु० 60/– | रु० 48/– | रु० 36/– |
| | (3) मासिक अदायगी वाले किराये मे | — | — | रु० 12/– |

किन्तु पहली अदायगी मे ऊपर उल्लिखित परिवर्तन और किराये में छूट ऐसे उपभोक्ता के मामले मे व्यवहार्य नही होगी जिसे योजना के अन्तर्गत 15 मई 1974 से पहले टेलीफोन कनेक्शन की व्यवस्था कर दी गई हो या किसी ऐसे टेलीफोन कनेक्शन के आवेदक को जिसने कि योजना के अन्तर्गत पहले ही रकम जमा कर दी हो और जिसे उस तारीख मे पहले टेलीफोन कनेक्शन की व्यवस्था न की जा सकी हो।

खण्ड V.—विस्तारों का शुल्क

| | | वार्षिक किराया रुपये |
|---|---|---|
| (1) | (क) आन्तरिक विस्तार जिसमें अन्तर संचार सुविधा हो | 200 |
| | (ख) अन्तर संचार सुविधा सहित आन्तरिक विस्तार | 250 |
| | (ग) बाहरी विस्तार | |
| | (1) मख्य कनेक्शन से जिसकी अरीय दूरी 1 किलोमीटर से अधिक न हो | 500 |

| | |
|---|---|
| (2) मुख्य कनेक्शन से जिसकी अरीय दूरी 1 किलोमीटर से अधिक हो | किराया उस प्रकार जैसा कि पहले किलोमीटर के लिए लिया जाता है जमा प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर या उसके किसी अंश के लिए रु० 300/- प्रति वर्ष |

(2) उन विस्तारों के लिए जिनकी अरीय दूरी 5 किलोमीटर से अधिक हो ऊपर उल्लिखित दरें तभी व्यवहार्य होंगी जबकि बिना कुछ खर्चा किये मौजूदा तारों और केबुल संचालकों का उपयोग करके व्यवस्था की गई हो। बाकी अन्य सभी मामलों में किराया विशेष दर से लगाया जाएगा।

**खण्ड VI.—अतिरिक्त सुविधाओं का शुल्क :**

(1) सुविधा के ब्यौरे

| | वार्षिक किराया रुपये |
|---|---|
| (क) अतिरिक्त घंटी | 20 |
| (ख) स्विच सहित घंटी का विस्तार | 20 |
| (ग) (i) एक प्लग और 2 साकेट | 40 |
| (ii) प्रत्यक अतिरिक्त साकेट के लिए | 15 |
| (घ) (i) 5 मीटर तक लम्बी डोरी | 30 |
| (ii) प्रत्येक अतिरिक्त 5 मीटर डोरी के लिए | 15 |
| (ङ) एक पूरा टेलीफोन सैट | 60 |
| (च) सिक्का एकत्र करने वाली पेटी | 60 |
| (छ) तेज बोलने वाला टेलीफोन | 800 |

(2) रंगीन टेलीफोन यंत्र के लिए प्रति यंत्र 60/- रु० अतिरिक्त शुल्क लिया जायगा और एक रंग के यंत्र की दूसरे रंग के यंत्र द्वारा बदली करने के लिए 30/- रु० शुल्क होगा। यह शुल्क किसी भी हालत में लौटाये नहीं जा सकते। एम्लीफोन (ऊंचा सुनने वालों के लिए टेलीफोन यंत्र) की व्यवस्था के लिए 32/- रु० प्रतिवर्ष या 8/- रु० प्रति तिमाही या 3/-रु० प्रति माह की दर से अतिरिक्त शुल्क वसूल किया जाएगा।

खण्ड VII.—आकस्मिक और स्थायी स्थापनाएं :

(1) विभागीय एक्सचेंज से आकस्मिक कनेक्शन :

(क) मांग का महत्व उस पर होने पर वाला खर्चा और अपेक्षित समय पर कनेक्शन की व्यवस्था की सम्भाव्यता को ध्यान में रखकर किसी इंजीनियरी मंडल के प्रभारी मंडल इंजीनियर या टेलीफोन जिले के अध्यक्ष द्वारा आकस्मिक कनेक्शनों की मंजूरी दी जा सकती है। प्रमापित दर या सामान्य दर प्रणाली से आकस्मिक टेलीफोन कनेक्शनों का शुल्क इस प्रकार होगा :—

| कनेक्शन की अवधि | किराया |
|---|---|
| | रु० |
| 1 से 10 दिन तक | 60 |
| 11 से 30 दिन तक | 120 |
| 31 से 60 दिन तक | 180 |

प्रमापित दर प्रणाली में तमाम कालों का शुल्क उस दर से लगाया जाएगा जैसा कि खंड III की मद 1 की उपमद (क) में ऐसी कालों के लिए निर्धारित है और कोई काल मुफ्त नहीं लगाई जायेगी।

(ख) आकस्मिक कनेक्शन की व्यवस्था अधिक से अधिक 60 दिनों तक के लिये की जा सकती है किन्तु तार प्राधिकारी अपने स्वविवेक निर्णय पर विशेष मामलों मे इस अवधि को बढ़ा सकते हैं।

(2) **विभागीय एक्सचेंज से स्थाई कनेक्शन.**—अस्थायी आधार पर विभागीय एक्सचेंज कनेक्शन का किराया खंड III में निर्धारित किराये से डेढ़ गुना होगा। प्रमापित दर प्रणाली में मुफ्त स्थानीय कालों की तिमाही में संख्या और मुफ्त कालों के ऊपर प्रत्येक स्थानीय काल का शुल्क वही होगा जैसा कि खंड III में निर्धारित किया गया है।

(3) **अस्थायी विस्तार और अस्थायी निजी तारें.**—विभागीय एक्सचेंज कनेक्शनों से अस्थायी विस्तार निजी एक्सचेंजों से कनेक्शन निजी शाखा एक्सचेंजो से कनेक्शन और इन कनेक्शनों से अस्थाई विस्तार अधिक से अधिक चार महीने की अवधि के लिए दिये जा सकते हैं बशर्ते कि इस सुविधा को देने के प्रत्येक मामले में खर्च 200/- रुपये से अधिक न आये । इन सुविधाओं के लिए शुल्क खंड V, VIII या IX में नियमित आधार पर उसी प्रकार की सुविधाओं के लिए निर्धारित वार्षिक किराये का आधा होगा।

## खण्ड VIII.—निजी एक्सचेंजों और निजी शाखा एक्सचेंजों का किराया :

### 1. एक्सचेंज उपस्कर के लिए किराया और स्थापना शुल्क

| एक्सचेंज का आकार | स्थापना शुल्क | वार्षिक किराया |
|---|---|---|
| | रु० | रु० |
| निजी कर एक्सचेंज और निजी कर शाखा एक्सचेंज | | |
| 1 जमा 3* | 100 | 300 |
| 2 जमा 6* | 200 | 600 |
| 3 जमा 9* | 300 | 900 |
| 5 जमा 20ऋ | 500 | 2400 |
| 10 जमा 50ऋ | 1000 | 6000 |
| 20 जमा 100ऋ | 1500 | 12000 |
| निजी स्वचल एक्सचेंज और निजी स्वचल शाखा एक्सचेंज | | |
| **5 लाइन पी-ए-बी-एक्स | 400 | 900** |
| **9 लाइन पी-ए-बी-एक्स | 750 | 1800** |
| 25 लाइन | 1500 | 6000 |
| 50 लाइन | 2500 | 12000 |
| 100 लाइन | 4000 | 20000 |

* बिना डोरी

ऋ फर्श नमूना

** किराया पूरी यूनिट के लिय है जिसमें आन्तरिक तमाम कनेक्शनों का किराया शामिल है ।

टिप्पणी .—निजी करचल एक्सचेजों, 100 लाइन क्षमता के ऊपर के निजी करचल और स्वचल शाखा एक्सचेंजों, तमाम निजी स्वचल एक्सचेंजों और विस्तार किस्म के निजी स्वचल शाखा एक्सचेंजों के लिए स्विच बोर्डों का किराया विशेष दरों से लगाया जाएगा जिसे स्विच बोर्ड की स्थापना पर खर्च की गई पूंजीगत लागत के आधार पर निकाला जाएगा।

2. निजी एक्सचेंजों (करचल और स्वचल) और निजी शाखा एक्सचेंजों (करचल और स्वचल) से दिये गये टेलीफोन कनेक्शनों का किराया :—

| | वार्षिक किराया रुपये |
|---|---|
| (क) आन्तरिक कनेक्शन | 200 |
| (ख) बाहरी कनेक्शन | |
| (1) जोकि निजी और निजी शाखा एक्सचेंजों से 1 किलोमीटर अरीय दूरी से अधिक न हो | 500 |
| (2) निजी या निजी शाखा एक्सचेंजों से 1 किलोमीटर से अधिक अरीय दूरी होने पर | वह किराया जो कि पहले किलोमीटर के लिए होता है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर या उसके अंश के लिए रु० 300/- प्रतिवर्ष। |

(ग) 5 किलोमीटर अरीय दूरी से ऊपर वाले बाहरी कनेक्शनों के लिए ऊपरी दरें तभी व्यवहार्य होंगी जबकि बिना खर्चा किये मौजूदा तारों या केबुल संचालकों का उपयोग किया गया हो। बाकी अन्य सभी मामलों में किराये की विशेष दरें लगाई जायेंगी ।

3. निजी तारों, अन्तर स्विच बोर्ड जंकशनों और टाई लाइनों का शुल्क उसी प्रकार लगाया जाएगा जिस प्रकार ऊपर मद संख्या 2 में दरें निर्धारित की गई है।

4. निजी शाखा एक्सचेंजों को जंक्शन लाइनों का किराया उसी दर से लगाया जाएगा जैसा कि खंड III में विभागीय एक्सचेंज कनेक्शनों के लिये निर्धारित है।

खण्ड IX.—निजी तारों का किराया :

| | | वार्षिक किराया रु० |
|---|---|---|
| 1. | (क) आन्तरिक निजी तारें | 200 |
| | (ख) बाहरी निजी तारें (प्रसारण सैट सहित अथवा बिना उसके) | |
| | (1) जिसकी दूरी प्रभार्य फासले के 1 किलोमीटर से अधिक न हो | 500 |

| | |
|---|---|
| (2) प्रभार्य फासले के 1 किलोमीटर से ऊपर | वही शुल्क जैसा कि पहले किलोमीटर के लिए होता है जमा प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर या उसके किसी अंश के लिए रु० 300/– प्रति वर्ष |

2. उन निजी तारों के लिए जिनकी दूरी प्रभार्य फासले के 5 किलोमीटर से ऊपर हो ऊपरी दरें तभी व्यवहार्य होंगी जबकि बिना खर्चा किये मौजूदा तारों या केबिल संचालकों का उपयोग करके उनकी व्यवस्था की गई हो। अन्य सभी मामलों में विशेष दरों से वसूली की जाएगी।

3. (i) जिन मामलों में उपभोक्ताओं को उसी एक्सचेंज की मार्फत जोड़ा जाता है वहां निजी तारों का प्रभार्य फासला सम्बन्धित एक्सचेंज से उपभोक्ताओं के अरीय दूरी का जोड़ होगा।

(ii) जहां उपभोक्ताओं को एक से अधिक एक्सचेंजों की मार्फत जोड़ा गया हो उन मामले में प्रभार्य फासला उपभोक्ताओं की उनके अपने अपने एक्सचेंजों की अरीय दूरी का जोड़ जमा दो सोमान्तक एक्सचेंजों के बीच अरीय दूरी होगी।

**खण्ड X.—गैर एक्सचेंजों लाइनों का किराया :**

| | वार्षिक किराया |
|---|---|
| 1. (i) जिसकी अरीय दूरी 1 किलोमीटर से अधिक न हो | रु० 500 |
| (ii) जिसकी अरीय दूरी 1 किलोमीटर से अधिक हो | वही शुल्क जैसा कि पहले किलोमीटर के लिए होता है जमा प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर या उसके अंश के लिए रु० 300/– प्रति वर्ष |

2. 5 किलोमीटर अरीय दूरी से ऊपर गैर एक्सचेंज लाइनों के लिए उपर्युक्त दरें तभी व्यवहार्य होंगी जब कि बिना खर्चा किये तबदीलियों के साथ मौजूदा तारों और केबिल संचालकों का उपयोग करके उनकी व्यवस्था की गई हो। अन्य मामलों में विशेष दरें लगाई जाएंगी।

3. गैर एक्सचेंजों लाइनों का प्रभार्य फासला जोड़े जाने वाले दो स्थानों के बीच अरीय फासला होगा ।

**खण्ड XI.—प्रसारण प्रयोजन के लिए आकाशवाणी को किराये पर दिये गये स्थानीय निजी तारें :**

प्रसारण प्रयोजन के लिए आकाशवाणी को किराये पर दी गई स्थानीय निजी तारों का किराया नीचे वाली दरों से लगाया जाएगा :—

| | |
|---|---|
| (i) लगातार उपयोग के लिए दी गई निजी तारें | खण्ड jx के अनुसार सामान्य विभागीय दरें |
| (ii) फ्लोटिंग लाइनें (जिन्हें शहर के भीतर विभिन्न स्थानों पर बदली किया जा सकता है जबकि विभाग को गैर वाजिब नुकसान के बिना युग्मों की उपलब्धि की जा सकती है ) | इन लाइनों का किराया विभागीय एक्सचेंज से 6 किलोमीटर अरीय दूरी के भीतर प्रतियुग्म रुपये 1400/- प्रति वर्ष होगा । 6 किलोमीटर से ऊपर लाइन के भाग के लिए किराया प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर या उसके अंश के लिए रु० 75/- प्रति वर्ष होगा । फ्लोटिंग लाइनों की बदली का शुल्क वही होगा जैसा कि निजी तारों की बदली के लिए होता है । |

**खण्ड XII.—दूरवर्ती पी-सी-ओ से विस्तार :**

दूरवर्ती पी-सी-ओ से विस्तार का किराया 1 किलोमीटर तक 200/- रुपये वार्षिक और 5 किलोमीटर तक (वास्तविक लम्बाई) प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर या उसके अंश के लिए 150/- रुपये वार्षिक होगा । यदि वास्तविक लम्बाई 5 किलोमीटर से ऊपर हो तो उपर्युक्त दरों से शुल्क तभी लगाया जाएगा जब कि बिना खर्चे के तबदीलियों के साथ मौजूदा तारों और केबिल संचालकों का उपयोग करके व्यवस्था की गई हो अन्यथा किराया या तो उक्त समान दरों से या विशेष दरों से, जो भी ऊंची हों, लगाया जाएगा ।

**खण्ड XIII.—प्रमुख अवसरों पर संस्थापित किए गए अस्थायी एक्सचेंज या निजी शाखा एक्सचेंज से कनेक्शन :**

1. अस्थायी एक्सचेंज या अस्थायी पी० बी० एक्स से टेलीफोन कनेक्शन की व्यवस्था का किराया 150/- रुपये प्रति माह या उसके अंश के लिए समान दर से लगाया जाएगा । (इसमें यदि खर्च हुआ हो तो काल शुल्क भी शामिल है ) जो कि पी० बी० एक्स या एक्सचेंज से पहले किलोमीटर के लिए होगा । प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर

या अंश के लिए 50/- रु० प्रति माह या उसके अंश के लिए अतिरिक्त किराया वसूल किया जाएगा ।

2. अस्थायी एक्सचेंज या अस्थायी निजी शाखा एक्सचेंज को ट्रंक काल प्रभारों के प्रयोजन के लिए विभागीय एक्सचेंज उसी रूप में माना जाएगा जिस रूप में एक्सचेंज या निजी शाखा एक्सचेंज किसी एक्सचेंज प्रणाली के क्रमशः स्थानीय क्षेत्र के अन्दर या बाहर पड़ता हो ।

3. समारोहों, सम्मेलनों, प्रदर्शनियों और इसी प्रकार के अन्य संगठनों के संयोजकों के कहने पर लगाए गये अस्थायी करबल एक्सचेंज का प्रचालन उन संयोजकों को सौंपे जाने पर किरायेदारों को प्रति माह या उसके किसी अंश के लिए 10 रुपये प्रति कनेक्शन छूट दी जाएगी ।

**खण्ड XIV.—अग्नि शामक सेवा :**

स्विच बोर्ड का किराया बराबर क्षमता के पी० बी० एक्स के किराये का 75 प्रतिशत होगा और अग्नि शामक विस्तारों का किराया उतनी ही लम्बाई के पी० बी० एक्स कनेक्शनों के किराये का 75 प्रतिशत होगा ।

**खण्ड XV.—राइफल रेंज कनेक्शन :**

राइफल रेंज कनेक्शनों के किराए उन्ही दरों पर लगाए जाएंगे जो यथा-स्थिति निजी तारों या नान-एक्सचेंज केन्द्रों के लिए निर्धारित है ।"

12. उक्त नियमावली के नियम 451 के लिए निम्नलिखित नियम उसकी एवज में रखा जाएगा :—

"451. **ट्रंक कालों के लिए प्रभार.**—नियम 451-क में दी गई व्यवस्था के अलावा ट्रंक कालों के प्रभार आगे निश्चित किए गए रूप में होंगे :—

(क) उसी लम्बी दूरी के प्रभार क्षेत्र में या दो समीपवर्ती प्रभार क्षेत्रों मे स्थित दो स्थानों के बीच ट्रंक कालों के लिए प्रभारों का निर्धारण सम्बन्धित ट्रंक एक्सचेंजों को बीच अरीय दूरी के जरिए किया जाएगा और दूरवर्ती लम्बी दूरी के प्रभार क्षेत्रों में स्थित दो स्थानों के बीच ट्रंक कालों के लिए प्रभारों का निर्धारण सम्बन्धित लम्बी दूरी के प्रभार केन्द्रों के बीच अरीय दूरी के जरिए किया जाएगा ।

सामान्य श्रेणी की यूनिट कालों के लिए प्रभारों की गणना निम्नलिखित ढंग से की जाएगी :—

**सारणी**

| किन्हीं दो एक्सचेंजों या किन्ही दो लम्बी दूरी के प्रभार केन्द्रों के बीच अरीय दूरी | | प्रभार रु० पै० |
|---|---|---|
| 20 किलोमीटर तक | | 0—50 |
| 20 किलोमीटर से अधिक किन्तु | 50 किलोमीटर तक | 2—00 |
| 50 किलोमीटर से अधिक किन्तु | 100 किलोमीटर तक | 4—00 |
| 100 किलोमीटर से अधिक किन्तु | 200 किलोमीटर तक | 6—00 |
| 200 किलोमीटर से अधिक किन्तु | 500 किलोमीटर तक | 10—00 |
| 500 किलोमीटर से अधिक किन्तु | 1000 किलोमीटर तक | 16—00 |
| 1000 किलोमीटर से अधिक | | 20—00 |

(ख) उच्च प्राथमिकता वाली ट्रंक कालों के लिए प्रभारों की गणना निम्नलिखित ढंग से की जाएगी :—

| प्राथमिकता | प्रभार |
|---|---|
| (i) एस-बी-एच कालें | उसी दर से जो साधारण कालों के लिए है बशर्ते कि जहां किसी एस-बी-एच काल का इस्तेमाल ऐसी काल के लिए अपेक्षित प्रयोजन के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए किया गया हो वहां इस सेवा में लागू होने वाली अधिकतम दर से प्रभार लिया जाना चाहिए । |
| (ii) तुरन्त कालें, नियत समय कालें और अंशदान नियत समय काल | साधारण काल की दोगुनी दर । |
| (iii) तड़ित कालें | साधारण कालों की आठ गुनी दर। |
| (iv) सरकारी विभागों के प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा बुक कराई गई अति तात्कालिक कालें, प्रचालन तात्कालिक, तात्कालिक और आवश्यक कालें । | साधारण कालों की चौगुनी दर । |

(ग) दिन के कुछ घंटों के दौरान जिसमें रविवार और राष्ट्रीय छुट्टियां भी शामिल हैं तथा कालों की कुछ श्रेणियों पर घटे हुए प्रभार निम्नलिखित होंगे :—

| | कालों की श्रेणिया | |
|---|---|---|
| | साधारण और एस बी-एच | तुरन्त |
| रविवारों तथा तीन राष्ट्रीय छुट्टियों में 00–00 बजे से 24 बजे तक | 50% | 75% |
| अन्य दिनों में (00–00 बजे से 8–00 बजे तक) | 50% | 75% |
| 8–00 बजे से 19–00 बजे तक | 100% | 100% |
| 19–00 बजे से 24 बजे तक | 50% | 75% |

किन्तु ऐसे किन्हीं दो एक्सचेंजों या किन्हीं दो लम्बी दूरी के प्रभार केन्द्रों के बीच, जो 50 किलोमीटर की अरीय दूरी के भीतर स्थित हों, ट्रंककालों पर घटे प्रभारों से संबंधित रियायत लागू नहीं होगी।

काल की श्रेणी के अनुसार, अवधि की एक ट्रंक काल यूनिट के लिए सामान्य पूर्णदर प्रशुल्क हो उसका 100% प्रशुल्क (टैरिफ) होता है।

(घ) विशेष सेवा के लिए लगाए जाने वाले अतिरिक्त प्रभार

| सुविधा | दर |
|---|---|
| (i) प्रभावी या अप्रभावी व्यक्ति विशेष काल<br>(ii) नियत समय काल<br>(iii) अंशदान नियत समय काल | व्यक्ति विशेष सुविधा के लिए साधारण श्रेणी की यूनिट काल के ट्रंक प्रभार का 50 प्रतिशत अतिरिक्त प्रभार 50 पैसे न्यूनतम प्रभार की शर्त के साथ होगा । |
| (iv) प्रभावी या अप्रभावी प्रत्येक काल पर विलम्ब शुल्क | (क) ट्रंक कालों पर 1–00 रुपया<br>(ख) स्थानीय कालों पर 0–50 |

(ङ) सार्वजनिक टेलीफोन घर (पी सी ओ) की कालों के लिए प्रभार

सार्वजनकि टेलीफोन घरो का इस्तेमाल स्थानीय काल (जहां स्थानीय काल की सुविधाएं सुलभ हों) या ट्रंक काल या दोनों प्रकार की कालें करने के लिए किया जा सकता है। सार्वजनिक टेलीफोन घरों का प्रयोग करने के लिए निम्नलिखित प्रभार लिए जाएंगे :—

| सार्वजनिक टेलीफोन घर की श्रेणी | सार्वजनिक टेलीफोन घर और मूल एक्सचेंज के बीच काल के लिए प्रभार | सार्वजनिक टेलीफोन घर से मूल एक्सचेंज के अलावा अन्य एक्सचेंजों को की गई कालों के लिए प्रभार | मूल एक्सचेंज के अलावा अन्य एक्सचेंजों से सार्वजनिक टेलीफोन घर को की गई कालों के लिए प्रभार |
|---|---|---|---|
| | 2 | 3 | 4 |
| स्थानीय सार्वजनिक टेलीफोन घर | 50 पैसे चाहे काल की अवधि कुछ भी हो | मूल एक्सचेंज से लगने वाले ट्रंक काल के प्रभार तथा 50 पैसे सार्वजनिक टेलीफोन घर का प्रभार, सार्वजनिक टेलीफोन घर का प्रभार यही रहता है, चाहे काल की अवधि कुछ भी हो | सार्वजनिक टेलीफोन घर के मूल एक्सचेंज के लिए ट्रंक काल के प्रभार तथा 50 पैसे सार्वजनिक टेलीफोन घर का प्रभार, सार्वजनिक टेलीफोन घर का प्रभार यही रहता है, चाहे काल की अवधि कुछ भी हो। |
| अन्तर्वेशित सार्वजनिक टेलीफोन घर | उसी स्थान पर स्थित एक्सचेंज के लिए जहां सार्वजनिक टेलीफोन घर स्थित हो, ट्रंक काल प्रभार तथा काल को प्रति अवधि यूनिट (3 मिनट) या उसके किसी भाग पर 50 पैसे सार्वजनिक टेलीफोन घर प्रभार | वही जो खाना 2 में है। | वही जो खाना 2 में है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | **लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर** | | |
| (क) मूल एक्सचेंज से 20 किलो मीटर अरीय दूरी के भीतर<br>(ख) मूल एक्सचेंज से 20 किलोमीटर से अधिक किन्तु 50 किलो मीटर अरीय दूरी<br>(ग) मूल एक्सचेंज से 50 किलोमीटर से अधिक अरीय दूरी | काल की प्रति यूनिट अवधि (3 मिनट) या उसके किसी भाग पर 1 रुपया सार्वजनिक टेलीफोन घर का प्रभार<br>काल की प्रति यूनिट अवधि (3 मिनट) या उसके किसी भाग पर 2 रुपये सार्वजनिक टेलीफोन घर का प्रभार<br>काल की प्रति यूनिट अवधि (3 मिनट) या उसके किसी भाग पर 4 रुपये सार्वजनिक टेलीफोन घर का प्रभार | वही ट्रंक काल प्रभार जो मूल एक्सचेंज से होते हैं तथा उचित सार्वजनिक टेलीफोन घर का प्रभार जैसा की खाना 2 में है। | सार्वजनिक टेलीफोन घर के मूल एक्सचेंज को ट्रंक काल प्रभार तथा उचित सार्वजनिक टेलीफोन घर का प्रभार जैसा कि खाना 2 में है। |

शर्त यह है कि दो सार्वजनकि टेलीफोन घरों के बीच कालों के लिए जो भिन्न-भिन्न एक्सचेजों से जुड़े हों। दोनों सार्वजनिक टेलीफोन घरों के सार्वजनिक टेलीफान घर के प्रभार एक्सचेजों के बीच लगने वाले ट्रंक काल प्रभार के अलावा लगाए जाऐंगे।

आगे यह भी शर्त है कि दो सार्वजनिक टेलीफोन घरों के बीच किसी काल के लिए जो अलग-अलग एक ही एक्सचेंज या एक ही सार्वजनिक टेलीफोन घर से जुड़े हों, काल का प्रभार दोनों सार्वजनिक टेलीफोन घरों में से प्रत्येक सार्वजनिक टेलीफोन घर से उभयनिष्ठ एक्सचेंज या उभयनिष्ठ सार्वजनिक टेलीफोन घर को की जाने वाली काल के प्रभारों का योगफल होगा।

आगे यह भी शर्त है कि टेडम में जुड़े दो लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घरों के बीच किसी काल के मामले में, काल का प्रभार दोनों सार्वजनिक टेलीफोन घरों के बीच अरीय दूरी के आधार पर लगाया जाएगा जैसा कि लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घरों के सामने खाना (1) और (2) में उल्लेख किया गया है।

**टिप्पणी-1.**—ट्रंक काल के मामले में सार्वजनिक टेलीफोन घरों के प्रभार रियायती दर की अवधि में न तो घटाए जाएंगे और न ही ट्रंक के प्राथमिकता संबंधी वर्गीकरण से (साधारण, तुरन्त अवश्यक आदि) ये प्रभावित होंगे।

**टिप्पणी-2.**—व्यक्ति विशेष प्रभार; नियत समय प्रभार और अंशदान नियत समम प्रभार केवल ट्रंक काल के प्रभार पर लगाए जाएंगे सार्वजनिक टेलीफोन घर के प्रभारों पर नहीं। प्रेस ट्रंक कालों के मामले में 12 1/2% की छूट केवल ट्रंक काल के प्रभार पर की जाएगी, सार्वजनिक टेलीफोन घर के प्रभार पर नहीं।

टिप्पणी–3:—लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोनघर और उसके मूल एक्सचेंज के बीच कालों के मामले में, सभी कालें साधारण कालें मानी जाएंगी और वे अपने बुकिंग समय के क्रम में लगाई जाएंगी । ऐसी कालों पर प्राथमिकता, रियायती प्रशुल्कों, नियत समय, अंशदान नियत समय और प्रेस काल छूट जैसी विशेष सुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगी । बिना सामान्य व्यक्ति विशेष प्रभार के व्यक्ति विशेष की सुविधा सुलभ होगी ।"

13. उक्त नियमावली के नियम 493 में उपनियम (10) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा :—

"(10) टेलीप्रिंटर मशीनों तथा अन्य उपस्करों के प्रभार निम्नलिखित होंगे :—

| | | | |
|---|---|---|---|
| (क) | (i) टेलीप्रिंटर मशीन | 2400 रु० | प्रति वर्ष । |
| | (ii) कुंजी-पटल छिद्रक . . | 1200 रु० | प्रति वर्ष । |
| | (iii) अमुद्रण पुनः छिद्रक . . (कुंजी पटल रहित ) | 1200 रु० | प्रति वर्ष । |
| | (iv) मुद्रण पुनः छिद्रक . (कुंजी पटल रहित) | 1500 रु० | प्रति वर्ष । |
| | (v) मुद्रण पुनः छिद्रक . . . (कुंजी पटल सहित) | 1860 रु० | प्रति वर्ष । |
| | (vi) टेप ट्रांसमिटर . . . | 600 रु० | प्रति वर्ष । |
| | (vii) छिद्रक संलगन . . . | 300 रु० | प्रति वर्ष । |
| | (viii) ट्रांसमिटर संलगन . . | 386 रु० | प्रति वर्ष । |
| | (ix) आटो ट्रांसमिशन सेट . . | 2400 रु० | प्रति वर्ष । |
| | (x) पावर पैक . . . | 360 रु० | प्रति वर्ष । |
| | (xi) स्विचिंग यूनिट . . . | 100 रु० | प्रति वर्ष । |
| | (xii) कम्प्यूटेटर बोर्ड . . . | बोर्ड पर प्रत्येक सीमान्त के लिए 6 रुपये प्रति वर्ष । | |

| | | |
|---|---|---|
| (ख) | (i) संस्थापन प्रभार | प्रत्येक छोर के लिए 100 रुपये । |
| | (ii) स्थानांतरण प्रभार | प्रत्येक छोर के लिए 100 रुपये । |
| | (iii) पुनः संयोजन के प्रभार | |
| | (क) यदि वियोजन की तारीख से सात दिन की अवधि के अन्दर फिर से चालू किया गया हो | प्रत्येक छोर के लिए 30 रुपये । |
| | (ख) अन्य सभी मामलों में | प्रत्येक छोर के लिए 60 रुपये । |
| | (ग) टेलीप्रिंटर संलग्नों | संस्थापन प्रभार और स्थानांतरण |

के लिए प्रभार निम्नलिखित होंगे :—

(i) संस्थापन प्रभार प्रत्येक छोर के लिए 100 रुपये।

(ii) स्थानांतरण प्रभार प्रत्येक छोर के लिए 100 रुपये ।"

14. उक्त नियमावली के नियम 496 में उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा :—

"उप-नियम (1) के प्रावधानों की शर्त सहित जहां कहीं लागू हो सके पार्टी से निम्नलिखित प्रभार भी लिए जाएगें :—

| | |
|---|---|
| (क) संस्थापन प्रभार | प्रत्येक छोर के लिए 100 रुपये। |
| (ख) स्थानांतरण प्रभार | प्रत्येक छोर के लिए 100 रुपये। |
| (ग) पुनः संयोजन शुल्क — | |
| (i) यदि वियोजन की तारीख से 15 दिन की अवधि के भीतर फिर चालू किया गया हो | 25 रुपये। |
| (ii) अन्य सभी मामलों में | 50 रुपये। |
| (घ) किसी भी छोर पर दिए गए हैंड माइक्रो टेलीफोन यंत्र | 60 रुपये प्रति यंत्र" |

15. उक्त नियमावली के नियम 507 में "प्रत्येक तिमाही या उसके किसी भाग में एक नियमित कनेक्शन के तौर पर तिमाही किराये का दुगना" शब्दों के स्थान पर "प्रत्येक तिमाही या उसके किसी भाग में एक नियमित कनेक्शन के तौर पर तिमाही किराये का डेढ़ गुना" शब्द रखे जाएंगे।"

16. उक्त नियमावली के नियम 519 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा :—

"519. उसके लिए एक बिल प्रस्तुत करने पर सभी प्रभार देय होते हैं। तार प्राधिकारी यह निश्चित करेंगे कि किन अवधियों के लिए बिल तैयार किये जायें तथा किन तारीखों तक उनका भुगतान कर दिया जाय।

टेलेक्स सेवा के लिए प्रभार निम्नलिखित होंगे :—

| | |
|---|---|
| (क) किराया : | |
| (i) टेलीप्रिंटर एक्सचेंज (टेलेक्स) से 5 किलोमीटर के घेरे के भीतर (स्थानीय क्षेत्र) अन्तस्थ (टर्मिनल) टेलीप्रिंटर मशीन के किराए सहित टेलेक्स उपभोक्ता की लाइन के लिए | 3000 रुपये प्रति वर्ष |
| (ii) 5 किलोमीटर के घेरे के भीतर (स्थानीय क्षेत्र) टेलेक्स उपभोक्ता की लाइन के लिए जबकि टेलीप्रिंटर मशीन की व्यवस्था स्वयं उपभोक्ता ने की हो | 600 रुपये प्रति वर्ष |

(iii) टेलीप्रिंटर एक्सचेन्ज के 5 किलोमीटर घेरे से स्थानीय क्षेत्र) बाहर कनेक्शन की वास्तविक लम्बाई के प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर या किलोमीटर के किसी भाग के लिए 300 रुपये प्रति वर्ष ।

(iv) प्रत्येक छिद्रक संलगन के लिए 300 रुपये प्रति वर्ष ।

(v) प्रत्येक ट्रांसमीटर संलगन के लिए 396 रुपये प्रति वर्ष ।

(vi) प्रत्येक पावर पैक के लिए 360 रुपये प्रति वर्ष ।

(vii) प्रत्येक स्विचिंग यूनिट के लिए 100 रुपये प्रति वर्ष ।

बशर्ते कि उन मामलों में जिनमें कनेक्शन की वास्तविक लम्बाई स्थानीय क्षेत्र के बाद 5 किलोमीटर से अधिक हो मद (iii) में उल्लिखित प्रभार तभी लागू होंगे जबकि वर्गर किसी खर्च के फेर बदल के साथ मौजूदा तारों या केबल कंडक्टरों का उपयोग कर वह कनेक्शन दिया गया हो। अन्य सभी मामलों में कनेक्शन ऐसी दरों पर दिया जा सकता है जिन्हें तार प्राधिकारी निश्चित करें। इसके लिए वे निर्माण की लागत तथा अन्य संबंधित कारणों को ध्यान में रखेंगे। ऐसा कनेक्शन उसी अवधि के लिए दिया जा सकता है जिसे तार प्राधिकारी तै कर दें।

**टिप्पणी**:—किराये पर लेने की आरंभिक न्यूनतम अवधि एक वर्ष होगी।

(ख) **काल के प्रभार** :

(i) **स्थानीय काले** :—तीन मिनट या उसके किसी भाग की प्रत्येक अवधि के लिए—1 रु० ।

(ii) **लम्बी दूरी की कालों के प्रभार** :— एक यूनिट अवधि के लम्बी दूरी की कालों के प्रभार निम्नलिखित होंगे :—

**सारणी**

| किन्हीं दो टेलीप्रिंटर ऐक्सचेजों के बीच अरीय दूरी | निम्नलिखित की एक यूनिट अवधि के लिए एक रुपये का प्रभार |
|---|---|
| (1) 200 किलोमीटर तक | 60 सेकेन्ड या उसका भाग । |
| (2) 200 किलोमीटर से अधिक किन्तु 600 किलोमीटर तक | 30 सेकेंड या उसका भाग । |
| (3) 600 किलोमीटर से अधिक किन्तु 1000 किलोमीटर तक | 20 सेकेंड या उसका भाग । |
| (4) 1000 किलोमीटर से अधिक | 12 सेकेंड या उसका भाग । |

शर्त यह है कि केवल 1900 बजे और 0800 बजे (भारतीय समय) के बीच की अवधि के दौरान लम्बी दूरी की कालों के लिए उपर्युक्त काल प्रभार पचास प्रतिशत कम कर दिए जाएंगे।

(ग) **अन्य प्रभार** :

(i) संस्थापन प्रभार 150 रुपये ।

(ii) स्थानांतरण प्रभार 150 रुपये ।

(iii) हस्तांतरण प्रभार 60 रुपये ।

| | |
|---|---|
| (iv) टेलेक्स संलगन :— | |
| (क) संस्थापन प्रभार | 100 रुपये। |
| (ख) स्थानांतरण प्रभार | 100 रुपये। |
| (v) पुनः संयोजन प्रभार :— | |
| (क) यदि वियोजन की तारीख से 15 दिन की अवधि के भीतर उसे फिर से चालू किया गया हो | 100 रुपये। |
| (ख) यदि वियोजन की तारीख से 15 दिन के बाद किन्तु छह माह की अवधि के भीतर उसे फिर से चालू किया गया हो | 150 रुपये। |
| (vi) सार्वजनिक टेलीफोन घर का प्रभार | प्रभावी या अप्रभावी अन्तर्देशीय या अन्तर्राष्ट्रीय प्रति काल—5 रुपये। |
| (vii) आन्सरबैक कोड/नम्बर में परिवर्तन के लिए प्रभार | 20 रुपये। |

**टिप्पणी**:— जहां टेलेक्स के उपभोक्ता को आन्तरिक तार व्यवस्था स्वयं ही करने की अनुमति दी गई हो वहां ऊपर मद (i) में उल्लिखित संस्थापन प्रभार का पचास प्रतिशत ही संस्थापन प्रभार होगा।

(घ) **रकम-वापसी :**

यदि किराए पर लेने की न्यूनतम अवधि के दौरान सेवा छोड़ दी गई हो तो कोई भी रकम वापस नहीं की जाएगी। यदि किराए पर लेने की न्यूनतम अवधि समाप्त होने के बाद सुविधा छोड़ दी गई हो तो कनेक्शन बंद होने की वास्तविक तारीख तक का किराया लेने के बाद रकम की वापसी कर दी जाएगी।"

17. उक्त नियमावली के नियम 520 के उप-नियम (1) की धारा (ख) में "चालीस" पैसे शब्दों के स्थान पर "एक रुपया" शब्द रखे जाएंगे।

18. उक्त नियमावली के नियम 521 में, जहां कहीं 'दो' शब्द आए हों या उसके स्थान पर 'पांच' रखा जाएगा।

[सं० 2-2/76-आर/
3-6/76-आर]

डी० एन० रामचन्दानी

सदस्य (प्रशासन) डाक तार बोर्ड और पदेन
अतिरिक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976